यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) के माह 04/2009 से 04/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर, स.ले.प.अ. एवं श्री शूरवीर सिंह राणा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 26.05.2017 से 07.06.2017 तक श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की पृथक रूप से प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः आई.सी.डी.एस.के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 विशिष्ट सेवायें समन्वित रूप में लाभार्थियों को प्रदान की जाती है- (1) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (2) स्वास्थ्य परीक्षण (3) सन्दर्भ सेवायें (4) प्रतिरक्षा टीकाकरण (5) अनुपूरक पोषाहार (6) प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं देखभाल। समस्त ताड़ीखेत विकासखण्ड

इकाई द्वारा संचालित योजनायें

(1) समेकित बाल विकास सेवायें

(2) अनुपूरक पोषाहार

(3) मुख्यमंत्री वृद्धा महिला पोषण योजना

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	शून्य	शून्य	112.59	103.61	732.24	677.76	-	63.46
2015-16	शून्य	शून्य	61.18	57.88	344.08	321.35	-	26.03
2016-17	शून्य	शून्य	56.34	54.44	353.67	341.70	-	13.87

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
-----------------------शून्य-----------------------					

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) एवं लेखापरीक्षा विधि लेनदेन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2012 से 03/2014 एवं 07/2014 से 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I नन्दा देवी कन्या योजना, आई.सी.डी.एस., पूरक पोषाहार, मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण। बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। समेकित बाल विकास सेवायें, अनुपूरक पोषाहार एवं मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- रू. 673.94 लाख की धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

सामान्यतः विभाग द्वारा कार्यदायी इकाईयों को अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय होते ही उपयोग प्रमाण पत्र कर लेने चाहिए।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मा. मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के तहत इकाई के अंतर्गत संचालित आँनबाड़ी केन्द्रोंको वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल रू. 54.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी जिसका शत प्रतिशत व्यय किया गया था परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (मई-जून 2017) तक एक से दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कोई उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे।

इसके अतिरिक्त अनुपूरक पुष्टाहार के अंतर्गत दिये जा रहे टी.एच.आर. एवं cooked food हेतु इकाई द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक कुल रू. 619.74 लाख का व्यय आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया गया था पन्तु वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पश्चात लेखापरीक्षा तिथि (मई-जून-2017) तक भी उक्त राशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपभोग उक्त धनराशियों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे।

अतः रू. 673.94 लाख की धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- विभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत कुल 107 लाभार्थियों को रू. 15000/- का भुगतान लम्बित रखा जाना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अभियान' योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं कने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्ते पूरी करते हो चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित संताने भी हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रू. 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम 1 माह के अन्दर 5000/- की धनराशि A/C Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष रूप. 10,000/- की धनराशि F.D बैंक में कन्या तथा उसके माता पिता के नाम से संयुक्त रूप से कराई जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खाते में E-transfer के माध्यम से रू. 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिये F.D करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत् होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

उक्त योजना की समीक्षा में पाया कि वर्ष 2015-16 में उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 763 लाभार्थियों का चयन किया गया। जनपद स्तरीय समिति द्वारा योजना के अंतर्गत अनुमोदित सूची में से प्रथम चरण में 107 लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु रू. 16,05,000/- (16.05 लाख) की धनराशि प्रदान की गयी। जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक उक्त धनराशि का वितरण न किया जाकर उसको इकाई के बैंक खाते में रखा गया था फलस्वरूप योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल सका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि योजना की धनराशि का लाभार्थियों में वितरण शीघ्र ही करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः 107 लाभार्थियों को रू. 15000/- प्रति की दर से रू. 16.05 लाख का भुगतान लंबित रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	सुश्री अनुलेखा विष्ट	बाल वि.परि.अधि.	01.04.2009 से 08.07.2010
2.	सुश्री शान्ती देवी	बाल वि.परि.अधि.	09.07.2010 से 27.04.2011
3.	श्रीमति दया वर्मा	बाल वि.परि.अधि.	28.04.2011 से 10.08.2011
4.	श्रीमति सुमित्रा आर्या	बाल वि.परि.अधि.	11.08.2011 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)